ISSN 2395-051X

सीमाशुल्क : सैद्धान्तिक अवधारणा एवं प्रकृति का अध्ययन भारतीय सन्दर्भ में

डॉ. आनंद तिवारी
प्राध्यापक - वाणिज्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश - विदेशों से आयातित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का मात्रात्मक तथा मूल्यात्मक संबंधी प्रतिबंध न होना मुक्त आयात कहलाता है ऐसा आयात शासकीय प्रतिबंधों से मुक्त रहता है। स्वर्ण, इलेक्ट्रानिक्स सामान, घड़ियाँ, कास्मेटिक इंजीनियरिंग सामान आदि विदेशों से मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं। जहाँ पहले इन पर कई गुना आयात शुल्क लगता था जो अब 10 प्रतिशत रह गया है। वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से जंगली जानवर, जानवरों के तेल, जानवरों की चर्बी हाथी दांत जंगली जानवरों की हड्डियां पूर्ण प्रतिबंधित हैं तथा चिड़ियों के अंड़े, सजावटी मछलियाँ, पशु-पक्षी वस्तुएं, अवशिष्ट पदार्थ तथा रसायन केवल लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आयात की जा रही है। निर्यातों पर आयातों की भांति प्रतिबंध नहीं है परंतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा देश में वस्तुओं के आंतरिक उपभोग में वस्तुओं का अभाव न हो इस उद्देश्य से निर्यात कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाया गया है सरकार की नीति निर्यात संवर्द्धन रही है इसलिए अधिक से अधिक निर्यात हेतु सामान्यतया मुक्त निर्यात नीति अपनायी जाती है। प्रस्तुत आलेख बुनियादी रूप से सीमा शुल्क की प्रकृति से सम्बद्ध तथा सैद्धान्तिक पहलुओं से सम्बद्ध है।

शोध समस्या का चयन

भारत में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार न केवल आयात एवं निर्यात पर कर आरोपण एवं संग्रहण करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है अपितु ऐसे कर के रूप में प्राप्त राजस्व का उपयोग करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को ही है। सीमाशुल्क का भुगतान आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता द्वारा किया जाता है परन्तु अंततः इसका अन्तिम भार उपभोक्ता पर ही जाता है। सीमाशुल्क का उद्देश्य जहाँ एक ओर आयातों को नियंत्रित करना तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है वहीं दूसरी ओर व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना है। 1993 के पूर्व भारत में सीमाशुल्क की दरें 400-500 प्रतिशत तक थी परन्तु आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् आयात दर को न्यूनतम कर दिया गया है। अब विदेशी शराब, तथा मोटर कारों पर ऊँची दरों से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। सीमाशुल्क की संग्रहण हेतु विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों की श्रृंखला कार्य करती है सर्वोच्च अधिकारी सीमाशुल्क आयुक्त होता है। उत्पाद एवं सीमाशुल्क संबंधी मामलों की सर्वोच्च सत्ता उत्पाद एवं सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड है जिसके निर्देशन के पदाधिकारी कार्य करते हैं। सीमाशुल्क के आरोपण एवं क्रियान्वयन हेतु सीमाशुल्क अधिनियम 1962 सीमाशुल्क है कि अधिनियम 1975 तथा सीमशुल्क नियम बनाए गए है, जिसके अन्तर्गत कानूनों का पालन न करने की दशा में कठोर अर्थदण्ड तथा कारावास का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है।

शोध आलेख के उद्देश्य

1. सीमाशुल्क की एतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना।
2. सीमाशुल्क की अवधारणा एवं प्रकृति को परिभाषित करना।
3. सीमाशुल्क की उपादेयता एवं औचित्य को समझना।

सीमाशुल्क : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में सीमाशुल्क का इतिहास अतिप्राचीनतम है सीमाशुल्क का इतिहास वैदिक युग में भी मिलता है। अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सीमाशुल्क करोरोपण का उल्लेख किया गया है। मुगलकाल में भी सीमाशुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त किया जाता था।

ब्रिटिश शासनकाल में सीमाशुल के संग्रहण हेतु 1786 में बोर्ड ऑफ रेवन्यू का गठन किया गया वर्ष 1808 में पुनः नया बोर्ड गठित किया गया। 1859 में समग्र भारत में प्रशुल्क अधिनियम क्रियान्वित किया गया प्रारंभिक अवस्था में मुंबई, बंगाल तथा चेन्नई रेसीडेंसी थी। इन तीनों में प्रशुल्क दरों में भिन्नता थी इस अंतर को समाप्त करने तथा कर में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 1867, 1870, 1871, 1875 तथा 1878 में कतिपय संशोधन किए गए भारत में सीमाशुल्क का इतिहास सूतीवस्त्र उद्योग से संबद्ध रहा है प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की समाहित के पश्चात 1921 में भारतीय प्रशुल्क आयोग तथा 1924 में करारोपण जाँच समिति ने शुल्क निर्धारण हेतु सुझाव दिये जिसके आधार पर 1934 में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम पारित किया गया। जहाँ तक आजादी के बाद का प्रश्न है, 1962 में सीमाशुल्क अधिनियम पारित किया गया 1985 में भारतीय प्रशुलक अधिनियम 1934 को समाप्त कर नया सीमाशुल्क अधिनियम 1985 बनाया गया आयातकर की दरें, सीमाशुल्क अधिनियम 1985 के अनुसार आरोपित की जाती हैं आयात कर का उद्देश्य राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है यह कर उपभोक्ता तथा औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है। निर्यातकर का राजस्व की दृष्टि से नगण्य के बराबर है क्योंकि निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से निर्यातित माल पर यह कर नहीं लगाया जाता है। 1867 से निर्यात कर को हटाकर दिया गया और 1914 में केवल चावल पर ही लगाया गया। 1946 में पुनः अनेक उत्पादों पर लगाया गया वर्तमान में चमड़ा, हड्डियों खालों पर 15 प्रतिशत निर्यातकर लगता है। सीमाशुल्क लगाने का उद्देश्य राजस्व प्राप्त न करके स्वदेशी व्यापार तथा उद्योगों का संरक्षण करना है।

सीमाशुल्क : अवधारणा

पुरातन काल में जब एक राज्य का व्यापारी अंतर्राज्यीय व्यापार करता था तो उसे उस राज्य के राजा को उपहार देने की परंपरा थी। राजा उपहार प्राप्त कर व्यापारी को राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता था। यही परंपरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आत्मसात की गई जो वर्तमान वस्तुओं एवं उत्पादों के आयात निर्यात पर आरोपित कर के रूप में संग्रहीत किया जाता है। सीमाशुल्क जिसे आंग्ल भाषा में ''कस्टम ड्यूटी'' कहा जाता है। वस्तुतः कस्टम शब्द हिन्दी भाषा 'परंपरा' का अनुवादित रूप है। आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ सीमाशुल्क नहीं लगता हो। प्राचीनकाल में सीमाशुल्क व्यापारिक लाभों पर आरोपित किया जाता था। परंतु वर्तमान में यह कर दो रूपों में आरोपित किया जाता है। एक तो वस्तु के मूल्य पर जिसे मूल्यानुसार कर कहा जाता है दूसरे, वस्तु के परिमाण पर जिसे परिमाणानुसार कर कहा जाता है। सीमाशुल्क का भार आयात एवं निर्यात होने वाले उत्पाद की माँग तथा पूर्ति की लोच के आधार पर आरोपित होते है। यदि उत्पाद की माँग लोचदार है तो सीमाशुल्क का भार उत्पाद पर आयेगा और माँग वे-लोचदार है तो भार उपभोक्ता पर आयेगा।

सीमाशुल्क : औचित्य

संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत सीमाशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। संग्रहित राजस्व का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। सीमाशुल्क के रूप में जहाँ एक ओर

ISSN 2395-051X

सरकार को समुचित राजस्व प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर उत्पाद मूल्य में कर की राशि समाहित होने के कारण उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार भी नहीं पड़ता है। सीमाशुल्क आरोपण का बुनियादी उद्देश्य आयातों को नियंत्रित करना तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करना है ताकि देशों उद्योगों को संरक्षण मिल सके तथा विदेशों से विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाये रखा जा सके। राजस्व प्राप्तियों में सीमाशुल्क का उल्लेखनीय योगदान है। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादशुल्क के पश्चात् सर्वाधिक राजस्व सीमाशुल्क से ही प्राप्त होता है। आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति क्रियान्वयन से पहले सीमाशुल्क की जो दर अत्यधिक ऊँची थी कतिपय उत्पादों पर पांच सौ प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क आरोपित किया जाता था परंतु विगत 23 वर्षों में कर अपवचन तथा तस्करी को रोकने के उद्देश्य से सीमाशुल्क की दरों में निरंतर कमी आयी है। वर्तमान में सीमाशुल्क की 10 प्रतिशत कर है अब केवल मंहगी कारों तथा विदेशी शराब पर ऊँची दरों से शुल्क वसूल किया जाता है। 2014-15 में 188713 करोड़ तथा 2014-15 में 208000 करोड़ रूपये आय का अनुमान है। संपूर्ण केन्द्रीय करों का 15 प्रतिशत राजस्व सीमाशुल्क से प्राप्त होता है। सीमाशुल्क के नितांत कमी के बावजूद इस कर से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो सकती है। सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह सरकारी गजट में अधिसूचित कर माल के आयत एवं निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। भारत की सुरक्षा, लोकव्यापी नैतिकता बनाने रखने, तस्करी रोकने, प्रतिकूल भुगतान संतुलन रोकने, मानव, जीव वनस्पति, कलात्मक, ऐतिहासिक एवं पुरातत्व, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु राजस्व प्रतिलिप्याधिकार व्यापार चिन्ह रक्षा हेतु, कृषि, प्रसंस्करण, स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण हेतु सोना थोड़ी के आयात निर्यात को नियंत्रित करने हेतु तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं पुरसा उद्देश्यों की दृष्टि से केन्द्र सरकार आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है।

सीमाशुल्क : स्वरूप

सीमाशुल्क के प्रमुख प्रकारों में मूल सीमाशुल्क आता है। यह शुल्क वस्तुओं के आयात की दशा में उनके निर्धारण मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता हैं विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क की दरें पृथक-पृथक हैं। वर्ष 2012-13 में सामान्य रूप से ये दरें 5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक रही है। लेकिन भारतीय कृषि तथा परिवहन उद्योग के संरक्षण हेतु नई करों पर 60 प्रतिशत पुरानी दरों पर 10 प्रतिशत तथा खाद्य तेलों पर 75 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता है। वर्ष 2012-13 में सीमाशुल्क की सामान्य दर 10 प्रतिशत लागू रही जो कि अब तक की सीमाशुल्क की न्यूनतम दर रही है। सीमाशुल्क का दूसरा रूप समभार शुल्क है जो आयातित माल पर भारत में लगने वाले उत्पादन शुल्क दरों पर लगता है। विदेशों से जो माल आयात होता है उस पर भारत सरकार को उत्पाद शुल्क प्राप्त नहीं होता है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मूल सीमाशुल्क की राशि को शामिल करने के बाद जो राशि ज्ञात होती है, उस पर संबंधित वस्तु के लिए भारत में लागू उत्पादन शुल्क की राशि से वसूला जाता है। विदेशों से जो माल आयात होता है उस पर विक्रयकर नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में विक्रयकर की प्रतिपूर्ति जो कर लगता है वह विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क कहते हैं। सीमाशुल्क के आय प्रकारों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, बैगेज पर शुल्क, संरक्षण शुल्क, ऐंटीडंपिंग शुल्क अधिमानी दर से सीमाशुल्क संधि के अनुसार निर्धारित करके सीमाशुल्क भी लिया जाता है। उदारीकरण से पूर्व भारत में आयातों पर अनेक प्रतिबंध लागू थे विदेशों से आयात करना काफी जटिल था। कई वस्तुएँ या तो आयात ही नहीं की जा सकती थी और जो वस्तुएँ आयात की जा सकती थी। उनके लिए अनेक वैधानिक

औपचारिकता पूरी करना पड़ती थी तथा भारी दर से आयात शुल्क भुगतान करना पड़ता था विश्वव्यापार संगठन एवं गैट समझौता लागू होने के बाद भारत में आयातों पर या तो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं या शिथिल कर जंगली जानवर, हाथी दांत, जानवरों के तेल आदि पर पूर्ण प्रतिबंधित वस्तुतः जिन्हें लाइसेंस प्राप्त करके आयात किया जा सकता है।

सीमाशुल्क : आयात-निर्यात कर प्रावधान

विदेशों से आयातित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का मात्रात्मक तथा मूल्यात्मक संबंधी प्रतिबंध न होना मुक्त आयात कहलाता है ऐसा आयात शासकीय प्रतिबंधों से मुक्त रहता है। स्वर्ण, इलेक्ट्रानिक्स सामान, घड़ियाँ, कास्मेटिक इंजीनियरिंग सामान आदि विदेशों से मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं। जहाँ पहले इन पर कई गुना आयात शुल्क लगता था जो अब 10 प्रतिशत रह गया है।

वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से जंगली जानवर, जानवरों के तेल, जानवरों की चर्बी हाथी दांत जंगली जानवरों की हड्डियां पूर्ण प्रतिबंधित हैं तथा चिड़ियों के अंड़े, सजावटी मछलियाँ, पशु-पक्षी वस्तुएं, अवशिष्ट पदार्थ तथा रसायन केवल लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आयात की जा रही है। निर्यातों पर आयातों की भांति प्रतिबंध नहीं है परंतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा देश में वस्तुओं के आंतरिक उपभोग में वस्तुओं का अभाव न हो इस उद्देश्य से निर्यात कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाया गया है सरकार की नीति निर्यात संवर्द्धन रही है इसलिए अधिक से अधिक निर्यात हेतु सामान्यतया मुक्त निर्यात नीति अपनायी जाती है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का निर्यात पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। वन्यजीव तथा उनके अवयव, विदेशी चिड़ियाएँ, खतरनाक पौधे, गौ मांस, मानव अस्थि पंजर, कठोर चर्बी, चर्बी, लकड़ी की वस्तुए, हथियारों के रसायन, चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी, कतिपय वस्तुएँ ऐसी है, जिनका खुला निर्यात नहीं किया जा सकता है बल्कि लाइसेंस ड्डाप्त कर ही निर्यात किया जा सकता है। पशु, कुछ, रासायनिक उर्वरक, सालें, फल, खनिज पदार्थ, मैगनीज, दालें, धाने, चावल की बूसी, बीज, जीवों, फाइवर आदि भारत में कतिपय वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार उपक्रम के माध्यम से किया जा सकता है।

भारत में कतिपय वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार उपक्रमों के माध्यम से ही किया जा सकता है पेट्रोलियम, पदार्थों का निर्यात इंडियन आइल कॉरपोशन के माध्यम से, खनिज पदार्थ कच्चा लोहा बॉक्साइट, मैगनीज पर राज्य व्यापार उपक्रम द्वारा ही किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. मेहरोत्रा, एच.सी. - अप्रत्यक्ष कर, साहित्य भवन, आगरा।
2. सकलेचा, श्रीपाल - सेवा कर, सतीश प्रिन्टर्स, इन्दौर।
3. लखोटिया - कर नियोजन एवं प्रबंध, दिल्ली।
4. संघानिया, विनोद - डारेक्ट टैक्स इन इण्डिया, टैक्समेन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. सकलेचा, श्रीपाल - भारत में अप्रत्यक्ष कर, सतीश प्रिन्टर्स, इन्दौर।